

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश संख्या.....172...../2026

सं0सं0 अ0नि0 (02) 46/2026/नि0सं0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1104(24) दिनांक 01.06.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री ऊजमा फातिमा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर (वैशाली) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत स्वयं की शादी हेतु दिनांक 15.04.2026 से 02.05.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 46/2026/नि0सं0.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)/मुख्य अभियोजक, हाजीपुर (वैशाली)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ सुश्री ऊजमा फातिमा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 46/2026/नि0सं0.....1581

दिनांक.....19/6/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

